

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठारसीन अधिकारी - रणजीत कुमार, आर.प.प.

वाद पत्र संख्या 20/2025

अन्तर्गत धारा 53, 68 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुभाष पुत्र श्री हरिकृष्ण जाति कुम्हार निवासी 12ए, विकास नगर, चहल चौक
श्रीगंगानगर।

...वादी

—:: बनाम —::

1. हरिकृष्ण पुत्र श्री बट्टीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी 36 एल.एन. पी. तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर
2. रणवीर पुत्र श्री हरिकृष्ण जाति कुम्हार निवासी 25 एम. एल. तहसील व जिला
श्रीगंगानगर (राज0)।
3. सुमन पत्नी रणवीर जाति कुम्हार निवासी 25 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
(राज0)।
4. धननज्य पुत्र श्री रणवीर कुम्हार निवासी 25 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर
(राज0)।
5. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
7. श्यामसुन्दर पुत्र हरिकृष्ण } जाति कुम्हार निवासी 12 ए
8. मंजू पत्नी श्री श्यामसुन्दर } विकास नगर चहल चौक,
9. किरण पत्नी श्री सुभाष चन्द्र } श्रीगंगानगर

— प्रतिवादीगण

उपरिथत-अधिवक्ता श्री सतविन्द्र सिंह चहल

वादी

अधिवक्ता रोबिन गुम्बर

प्रतिवादी 1 ता 4, 7 ता 9

पैरोकार राज

(प्रति.-6)

—:: निर्णय ::-

दिनांक 06.06.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वाके चक 25 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 1/1 की 0.228 है0, किला नं. 1/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 2 ता 5 प्रत्येक सालम, किला नं. 5/1 की 0.228 है0, किला नं. 5/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 6/1 की 0.228 है0, किला नं. 6 / 2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 7 ता 9 प्रत्येक सालम, किला नं. 10/1 की 0.228 है0, किला नं. 10/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 11/1 की 0.228 है0, किला नं. 11/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नं. 15/1 की 0.228 है0, किला नं. 15/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 16/1 की 0.228 है0, किला नं. 16/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 17 ता 19 प्रत्येक सालम, किला नं. 20/1 की 0.228 है0, किला नं. 20/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 21/1 की 0.228 है0, किला नं. 21/2 की 0.025 है0 खाला, किला नं. 22 ता 24 प्रत्येक सालम, किला नं. 25/1 की 0.203 है0, किला नं. 25/2 की 0.025 है0 खाला कुल 5.9500 है0 नहरी, 0.2500 है0 खाला कुल तावादी 6.200 हैक्टयर नहरी मय खाला मुताबिक जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

दर्ज हैं जिसमें वादी सुभाष के नाम से 1033/3100 हिस्सा अर्थात् 2.066 है 0 नहरी मय खाला दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 1 हरीकृष्ण के नाम से 2067/6200 हिस्सा अर्थात् 2.067 है 0 नहरी मय खाला व प्रतिवादी सं. 2 रणवीर के नाम से 2067/6200 हिस्सा अर्थात् 2.067 है 0 नहरी वादी व प्रतिवादी सं. 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 हरिकृष्ण के पिता श्री बद्रीप्रसाद पुत्र गणपतराम के नाम से चक 25 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के सम्वत् 2029-2035 कागजात माल थी। बद्रीप्रसाद का देहान्त होने से बद्रीप्रसाद की यह भूमि जरिये विरास्तन इतकाल प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हो गयी। बद्रीप्रसाद के नाम की सम्वत् 2029-2035 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 हरिकृष्ण को वादग्रस्त भूमि अपने पिता श्री बद्रीप्रसाद से विरास्तन प्राप्त हुई हैं इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पास वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति हैं और पैतृक सम्पत्ति में वादी का जन्म से हक व हिस्सा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से वादी, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हैं और वादी वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा का खातेदार हैं और वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदार होने से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 1/3 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास पैतृक कृषि भूमि हैं इसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने का कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी आजकल - आजकल करते रहे और वादी का 1/3 हिस्सा स्वीकार करने से इंकार कर दिया और वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि में वादी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और भूमि अन्यत्र हस्तान्तरित कर दूंगा। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश इस आशय की पाने की अधिकारिणी हैं कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के किसी भू-भाग को रहन, बैय व अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पास पैतृक सम्पत्ति के रूप में हैं। वादी प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी 1/3 हिस्सा की हिस्सेदार हैं। वादी ने वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा स्वीकार कर 1/3 हिस्सा का पृथक कब्जा वादी को देने व भूमि को अन्यत्र रहन, बैय न करने का कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वाद कारण हैं। वाद वादी कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा व भूमि विभाजन हेतु हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से पक्षकारान ने ऋण ले रखा हैं। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार भूमि की मालिक हैं आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं जो इंकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

क- घोषित किया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि में वादी 1/3 हिस्सा की खातेदार हैं।

ख - इसी अनुसार चक 35 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा का विभाजन किया जाकर पृथक कब्जा वादी को दिलाया जावें।

ग- प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश इस आशय का जारी किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि के किसी भू-भाग को रहन, बैय व अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे।

घ- खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

ङ- अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्रीगंगानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान एक ही परिवार व रिश्तेदारान होने के कारण गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारो के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा करवा दिया है। जो निम्न प्रकार से है :-

क- प्रथम पक्ष सुभाष का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 5/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 5/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 6/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 6/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 7 में 0.156 है० (किला नं. 14 से चिपता हुआ), किला नं. 14 में 0.253 है०, किला नं. 15/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 15/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 16/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 16/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 17 में 0.253 है०, किला नं. 24 में 0.228 है०, किला नं. 25/1 में 0.203 है० नहरी, किला नं. 25/2 में 0.0250 है० खाला, कुल 2.130 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

ख- द्वितीय पक्ष रणवीर का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 1/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 1/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 2, 3, 4, 8 व 9 प्रत्येक में 0.253 है०, किला नं. 7 में 0.097 है० (किला नं. 4 से चिपता हुआ) किला नं. 10/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 10/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 11/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 11/2 में 0.0250 है० खाला कुल 2.1210 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

ग- द्वितीय पक्ष सुमन का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 12, 13, 18 प्रत्येक में 0.253 है० नहरी, किला नं. 23 में 0.2280 है० नहरी, कुल 0.9870 हैक्टयर नहरी ।

घ- द्वितीय पक्ष धननज्य का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 19 में 0.2530 है० नहरी, किला नं. 20/1 में 0.2280 है० नहरी, किला नं. 20/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 21/1 में 0.2030 है० नहरी, किला नं. 21/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 22 में 0.228 है० नहरी कुल 0.9620 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

अतः यह राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना

नशा पता बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है। द्वितीय पक्ष हरिकृष्ण द्वारा अपना हिस्सा शेष पक्षकार को दे दिया हैं और उक्त रकबा शेष पक्षकार के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो उसमें हरिकृष्ण पूर्णतया सहमत हैं। अतः यह चन्द कलमें लिख दी ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे ।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ ।

प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पेश किया गया जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर श्यामसुन्दर पुत्र हरिकृष्ण, मंजू पत्नी श्री श्यामसुन्दर, किरण पत्नी श्री सुभाष चन्द्र को प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 बनाया गया ।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ता 9 द्वारा आपसी सहमति से पुनः राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान एक ही परिवार व रिश्तेदारान होने के कारण गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारो के द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा करवा दिया है। जो निम्न प्रकार से है :-

क- प्रथम पक्ष सुभाष का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुरब्बा नं. 16 के किला नं. 5/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 5/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 6/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं.

6/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 7 में 0.156 है० (किला नं. 14 से चिपता हुआ), किला नं. 14 में 0.253 है०, किला नं. 15/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 15/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 16/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 16/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 17 में 0.253 है०, किला नं. 24 में 0.228 है०, किला नं. 25/1 में 0.203 है० नहरी, किला नं. 25/2 में 0.0250 है० खाला, कुल 2.130 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

द्वितीय पक्ष ख- रणवीर का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 1/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 1/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 2, 3, 4, 8 व 9 प्रत्येक में 0.253 है०, किला नं. 7 में 0.097 है० (किला नं. 4 से चिपता हुआ) किला नं. 10/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 10/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 11/1 में 0.228 है० नहरी, किला नं. 11/2 में 0.0250 है० खाला कुल 2.1210 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

ग- द्वितीय पक्ष सुमन का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 12, 13, 18 प्रत्येक में 0.253 है० नहरी, किला नं. 23 में 0.2280 है० नहरी, कुल 0.9870 हैक्टयर नहरी ।

द्वितीय पक्ष धननज्य का हिस्सा :-

चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 19 में 0.2530 है० नहरी, किला नं. 20/1 में 0.2280 है० नहरी, किला नं. 20/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 21/1 में 0.2030 है० नहरी, किला नं. 21/2 में 0.0250 है० खाला, किला नं. 22 में 0.228 है० नहरी कुल 0.9620 हैक्टयर नहरी मय खाला ।

अतः यह राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है। द्वितीय पक्ष हरिकृष्ण, श्यामसुन्दर, मन्जू, किरण द्वारा अपना हिस्सा शेष पक्षकार को दे दिया है और उक्त रकबा शेष पक्षकार के नाम दर्ज कर दिया जाता है तो उसमें हरिकृष्ण, श्यामसुन्दर, मन्जू, किरण पूर्णतया सहमत हैं। अतः यह चन्द कलमें लिख दी ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्बन्ध-2070-2073 ग्राम 25 एमएल, पटवार क्षेत्र लटठावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 107/66 की प्रति पेश की गई। विरास्तन साक्ष्य सम्बन्धि जामबंदी सम्बन्ध 2026-2035 ग्राम 25 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 3, जामबंदी सम्बन्ध 2026-2035 ग्राम 25 एमएल, तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 9 पेश की गई। प्रस्तुत जमाबन्दियों के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा 50/- रुपये का स्टाम्प बाबत अन्य न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होने बाबत, वादग्रस्त आराजी पर कोई स्थगन प्रभावित नहीं होने बाबत, वाद में समस्त पक्षकारान संयोजित होने के सम्बन्ध में पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बन्ध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीगंगानगर

अंगवसन सुमन वनम हरिकृष्ण
 सद मुकदमा नं. 25/2015

खाली न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौते को मान्यता दी जा सकती है।

—II आवेश —

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	रकबा का विवरण
1	सुभाष पुत्र श्री हरिकृष्ण	चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 5/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 5/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 6/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 6/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 7 में 0.156 हे० (किला नं. 14 से चिपटा हुआ), किला नं. 14 में 0.253 हे०, किला नं. 15/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 15/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 16/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 16/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 17 में 0.253 हे०, किला नं. 24 में 0.228 हे०, किला नं. 25/1 में 0.203 हे० नहरी, किला नं. 25/2 में 0.0250 हे० खाला, कुल 2.130 हेक्टर नहरी मय खाला।
2	रणवीर पुत्र श्री हरिकृष्ण	चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 1/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 1/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 2, 3, 4, 8 व 9 प्रत्येक में 0.253 हे०, किला नं. 7 में 0.097 हे० (किला नं. 4 से चिपटा हुआ) किला नं. 10/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 10/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 11/1 में 0.228 हे० नहरी, किला नं. 11/2 में 0.0250 हे० खाला कुल 2.1210 हेक्टर नहरी मय खाला।
3	सुमन पत्नी रणवीर	चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 12, 13, 18 प्रत्येक में 0.253 हे० नहरी, किला नं. 23 में 0.2280 हे० नहरी, कुल 0.9670 हेक्टर नहरी।
4	धननज्य पुत्र श्री रणवीर	चक 25 एम.एल. के खाता संख्या 107/66 के मुख्या नं. 16 के किला नं. 19 में 0.2530 हे० नहरी, किला नं. 20/1 में 0.2280 हे० नहरी, किला नं. 20/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 21/1 में 0.2030 हे० नहरी, किला नं. 21/2 में 0.0250 हे० खाला, किला नं. 22 में 0.228 हे० नहरी कुल 0.9620 हेक्टर नहरी मय खाला।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी वेश होने पर डिप्टी पर्वी जारी किया जावे।

मुख्य न्यायाधीश (राज्य)
 श्रीगंगानगर


अनवान सुभाष बनाम हरिकृष्ण
वाद मुकदमा नं. 20/2025

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 06.06.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रणजीत कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एतम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर